दिल्ली परिवहन निगम को बसों के बेड़े में और बसों का शामिल किया जाना

950. **सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :** क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1988-89 के वर्ष के दौरान दिल्ली परिवहन निगम की बसों के बेड़े में और बसों के शामिल किये जाने का कोई प्रस्ताव था;

(ख) यदि हां, तो शामिल की जाने वाली इन बसों की कुल संख्या कितनी है;

(ग) इस प्रस्ताव के कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है; और

(घ) इस वर्ष के प्रारम्भ में बसों के बेड़े में कुल कितनी बसें चल रही थीं और चालू वर्ष की समाप्ति पर इन बसों की कुल संख्या कितनी हो जाने की संभावना है?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट) : (क) से (ग) 1988-89 में रिप्लेसमेंट के लिए 300 बसें खरीदने का कार्यक्रम बनाया गया था। अब 300 चेसिस खरीदी जा चुकी हैं और बाडी-निर्माण का कार्य चल रहा है। बाडी-निर्माण कार्य पूरा हो जाने पर इन बसों का प्रचालन शुरू कर दिया जाएगा।

(घ) 1-4-1989 की स्थिति के अनुसार दिल्ली परिवहन निगम के पास 4248 बसों का बेड़ा था। चालू वर्ष के दौरान रिप्लेसमेंट के लिए 506 बसें खरीदने का प्रस्ताव है जिससे वर्ष के अंत में इस बेड़े में 4248 बसें बनी रहेंगी।

मणिपुर के मोलचाम गांव का बर्मा को अन्तरण

951. **सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :** क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 3 जून, 1989 के 'टाइम्स आफ इंडिया' में "प्रोटेस्ट अगेन्स्ट ट्रान्सफर आफ विलेज टू बर्मा" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा मणिपुर के मोलचाम गांव को बर्मा को अन्तरित करने का कोई निर्णय लिया गया था;

(ग) यदि हां, तो यह निर्णय कब लिया गया; और

(घ) बर्मा की सेना के सैनिकों द्वारा इन गांवों में रहने वालों को परेशान करने के समाचारों के संबंध में तथ्य क्या हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० नटवर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) ऐसी कोई घटनाएं नहीं हैं जिनमें बर्मा के सैनिक शामिल हों। तथापि, कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिनमें बर्मा के राष्ट्रिक शामिल हैं।

दिल्ली की पुनर्वास बस्तियों में सरकारी स्कूल

952. **सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :** क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में 42 पुनर्वास बस्तियों की अधिक जनसंख्या को देखते हुए प्रशासन इन बस्तियों में शिक्षा सम्बन्धी समुचित सुविधाएं प्रदान नहीं कर पाया है;